

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. -284001, फोन नं. : 0510- 2321461, ईमेल: cs8252@pnb.bank.in.

नीलामी सन्दर्भ सं. ई-नीलामी /baanknet /2026-27/ तिमाही -02/ स. 02

दिनांक 18.08.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल/अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नैशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", " ", और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक/प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकायों की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है।) आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम(बंधक सम्पत्ति/यां (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ) सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब) एनपीए तिथि को देय बकाया राशि स) सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द) कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/ सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ) आरक्षित मूल्य (लाख में) ब) अग्रिम राशि जमा (ईएमडी)/राशि जमा करने की समय सीमा) स) वृद्धिशील विड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा मऊरानीपुर उधारकर्ता - श्री मती भगवती पत्नी मुकुंदा लाल	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय प्लॉट सम्पत्ति स्थित मोहल्ला पुरानी बैलाई, मऊरानीपुर, झाँसी क्षेत्रफल -61.33 वर्गमीटर (660 वर्ग फीट) है, जोकि श्रीमती भगवती देवी पत्नी मुकुंदा लाल के नाम पर है। चौहददी (टाइटिल डीड के अनुसार): पूर्व-जयराम कुशवाह की भूमि, पश्चिम-12 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर-श्रीमती हरकुरवर देवी का प्लॉट दक्षिण-मातादीन का प्लॉट।	अ) 09.05.2024 ब) रु. 6,47,410/- + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 30.04.2024 से प्रभावी दि. 07.10.2024 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 10.00 लाख ब) रु. 1.00 लाख 02.09.2026 स) रु. 0.10 लाख	02.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा-कानपुर रोड, झाँसी उधारकर्ता- श्री दिनेश राय पुत्र श्री भारत राय	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय प्लॉट संख्या 501, 5वीं मंजिल, दि कोर्टाई अपार्टमेंट, मौजा तालपुरा, स्थित, कानपुर रोड तहसील एवं जिला झाँसी-284002, क्षेत्रफल- 155.68 वर्ग मीटर, जोकि श्री दिनेश राय पुत्र श्री भारत राय के नाम पर है। चौहददी-पूर्व- 12 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- 6 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट संख्या 502।	अ) 12.03.2026 ब) रु. 54,77,531.77 + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.03.2026 से प्रभावी स) 19.05.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 106.00 लाख ब) रु. 10.60 लाख 24.09.2026 स) रु. 0.50 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा-बिजौली, झाँसी उधारकर्ता- इंदरीस खान गौरी, पुत्र हमीद खान गौरी	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय प्लॉट (जिस पर अब निर्मित मकान) नंबर बी-20, स्थित औद्योगिक एरिया ग्रोथ सेंटर, बिजौली, झाँसी पी.एच.-1, जिला- झाँसी, उ.प्र., क्षेत्रफल - 345 वर्ग मीटर, जोकि इंदरीस खान गौरी पुत्र हमीद खान गौरी (सम्पत्ति मालिक/बंधककर्ता/पट्टेदार) के नाम पर है। डीड (दस्तावेज) के अनुसार चौहददी- पूर्व- प्लॉट नंबर बी-1, पश्चिम- 12 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर- 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण-प्लॉट नंबर बी-19।	अ) 16.05.2026 ब) रु. 49,81,260.05 + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.05.2026 से प्रभावी स) 22.07.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 70.00 लाख ब) रु. 07.00 लाख 24.09.2026 स) रु. 0.10 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा- मऊरानीपुर उधारकर्ता- श्री सत्तार खान पुत्र श्री गुलाम रसूल	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय प्लॉट, संपत्ति स्थित मौजा-मऊदेहात, तहसील एवं परगना मऊरानीपुर, मऊरानीपुर, जिला-झाँसी आराजी नंबर 987, क्षेत्रफल 185.87 वर्ग मीटर (2000 वर्ग फुट) जो श्री सत्तार खान पुत्र श्री गुलाम रसूल के नाम पर है। चौहददी-पूर्व- 15 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- विक्रेता का प्लॉट, उत्तर- 18 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- विक्रेता का प्लॉट,।	अ) 13.03.2026 ब) रु. 9,14,660.55 + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.03.2026 से प्रभावी स) 22.05.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 15.00 लाख ब) रु. 01.50 लाख 24.09.2026 स) रु. 0.10 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
5	शाखा- मऊरानीपुर उधारकर्ता- श्री इरशाद पुत्र श्री रियाज उद्दीन	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय प्लॉट सम्पत्ति स्थित भूमि नंबर 991 मि., मौजा-मऊ (नगर पालिका सीमा बाहर), लुहारगांव रोड मऊरानीपुर, जिला- झाँसी बी.-98.82 वर्गमी. (1063.31वर्गवर्ग फीट) है, जोकि श्री इरशाद पुत्र रियाज उद्दीन के नाम पर है। डीड के अनुसार चौहददी- पूर्व: श्री किशन का प्लॉट, पश्चिम: श्री किशन का प्लॉट, उत्तर: श्री राजू आदिवासी का मकान, दक्षिण: रास्ता।	अ) 23.12.2025 ब) रु. 9,67,748.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 01.12.2025 से प्रभावी स) 05.03.2026 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 13.00 लाख ब) रु. 1.30 लाख 24.09.2026 स) रु. 0.10 लाख	24.09.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें- 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह विक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और विक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें। 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9470591961 ई-मेल cs8252@pnb.bank.in है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9470591961, पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1. प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अभिधार का विवरण- कोई अभिधार ज्ञात नहीं।

*सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा को "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी/प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।

2. यह नोटिस उधारकर्ताओं/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं को विक्री नोटिस भी है।

विक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक: : 18.08.2026
स्थान: झाँसी

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी